

उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 04.10.2019

संख्या :-162/2019

अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस. प्रशिक्षु)

जगदीश आत्मज चतुर्भुज धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

-प्रार्थी

बनाम

भू-स्वामी जयें तहसीलदार तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र:- अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति:-

1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री राजेन्द्र नागर एडवोकेट

निर्णय दिनांक 26.02.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि चरण सं. 1 में वर्णित ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का मानपुरा तहसील नैनवाँ की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता सं. 109 के खसरा सं. 21, 284, 324, 355, 360, 366, 386, 388, 394, 397 कुल किता 10 कुल रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा इसी प्रकार चरण सं. 2 में वर्णित खाता सं. 78 के खसरा सं. 228, 231 कुल किता 2 कुल 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि है। जिनमें प्रार्थी का हिस्से अनुसार रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम जगदीश आत्मज चतुर्भुज धाकड़ है जबकि चरण सं. 2 में वर्णित भूमि में जगदीश आत्मज चतुर्भुज के स्थान शंकर लाल आत्मज चतुर्भुज दर्ज कर दिया है जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदान पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाते की पास-बुक में जगदीश आत्मज चतुर्भुज ही लिखा हुआ है। दोनों नामों से प्रार्थी को ही जाना व पहचाना जाता है, दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं। चरण सं. 2 में वर्णित भूमि के खाते में शंकर लाल नाम गलत अंकित होने से प्रार्थी को के.सी.सी. व अन्य राज्य सरकार की योनजाओं से वंचित हो पड़ता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम शंकर लाल आत्मज चतुर्भुज के स्थान पर जगदीश आत्मज चतुर्भुज सही करने की आज्ञा फरमावें।

अपने जवाब में प्रत्यार्थी पैरोकार ने संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थना-पत्रों के चरणों को स्वीकार किया है। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी खाता सं. 109 ग्राम रामपुरिया में प्रार्थी का नाम जगदीश चतुर्भुज दर्ज है। चरण सं. 2 में वर्णित भूमि खाता सं. 78 में प्रार्थी का नाम शंकर लाल पि. चतुर्भुज रिकॉर्ड है, जबकि प्रस्तुत जमाबन्दी खाता सं. 109 आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदान पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाते की पास-बुक आदि व पंचायत के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र से प्रार्थी का नाम जगदीश आत्मज चतुर्भुज सही होना जाहिर होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायिक है। ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का मानपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता सं. 78 के खसरा सं. 228, 231 कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 14 में खातेदार शंकरलाल पि. चतुर्भुज के स्थान पर जगदीश आत्मज चतुर्भुज इन्द्राज दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। निर्णय मेरे लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

